BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 554/2025

IN THE MATTER OF:

RITISHA GOND D/O GOPAL GOND …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT 17-EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION BANDHI PRAKHAND, SONBHADRA IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 07.11.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 15.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 14.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 14.05.2026 ALONG	

	WITH PHOTOGRAPHS OF ARAZI NUMBERS 4803 AND 4992 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Place: Noida

Date: 18.05.2026

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 554/2025

IN THE MATTER OF:

RITISHA GOND D/O GOPAL GOND **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...RESPONDENT(S)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT 17- ASSISTANT ENGINEER, IRRIGATION BANDHI PRAKHAND, SONBHADRA IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 07.11.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, RAKESH KUMAR SHUKLA aged about 55 years, S/o Shri GOPAL KRISHAN SHUKLA posted as Assistant Engineer, Irrigation, Bandhi Prakhand II, Sonbhadra, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY
MANOJ DHAR
(Advocate)
GOVT. OF U.P. (INDIA)

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the matter was last listed for hearing on 09.02.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "…1. A letter has been circulated by Counsel for respondents no.1 to 3, 7, 9 to 15 and 17 seeking four weeks' time to file the reply.

   4. List on 19.05.2026…"

REPLY IS AS FOLLOWS

4. That, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the Joint Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Section-4, Government of Uttar Pradesh, vide letter no. **79-NGT/26-27-Irrigation-4-E-2020270** dated **15.05.2026**, directed the deponent department to ensure timely filing of response before the Hon'ble Tribunal and to ensure compliance with

the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit; and to further inform their office regarding the action taken.

A copy of the letter dated 15.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

5. That, the Sub-Divisional Magistrate, Obra, District Sonbhadra, vide letter no. **2102/7-R.N.-(Work)/Investigation Report/2026** dated **14.05.2026**, informed that **Arazi No. 4803 admeasuring 0.0510 hectares** and **Arazi No. 4992 admeasuring 0.0380 hectares** situated at Mauja Billi Markundi are recorded in Khata No. 4413 as "**Bandh**" under **Category 6-4 (non-agricultural land classified for other purposes).** It was further informed that the aforesaid Arazi numbers fall within the territorial limits of Gram Sabha Billi Markundi and **the ownership thereof vests in the State Government/Gram Sabha**.

   A copy of the letter dated 14.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

6. That, the office of the Chief Engineer (Son), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Varanasi, vide letter no. **Ni-483/Son/134 B-Co. K.O.A. No.-554/2025** dated **14.05.2026**, informed that upon examination of departmental records, revenue records and spot inspection, it was found that no natural drain, dam or irrigation structure exists at Arazi Nos. 4803 and 4992 situated at Village Billi Markundi which may be affected by the proposed mining activities under the DSR, Sonbhadra. It was further informed that the land at the aforesaid site is plain and level in nature.

   A copy of the letter dated 14.05.2026 along with photographs of Arazi Numbers 4803 and 4992 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-3***.

7. That, vide letter dated **14.05.2026** mentioned above, it has been further informed that that the Irrigation Department has constructed "**Khairatia Bandhi**" situated at Village Billi Markundi over Gata Nos. 193, 2970, 3744, 1029, 2950, 2960, 1031, 2978, 3018, 2957, 2961, 2962, 2963, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 3020, 3021, 3022, 3019, 3017, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010, 3009, 3006, 3005, 3002, 3001, 3000 and 1037 admeasuring a total area of 114.789 acres (46.47 hectares), out of which 106.477 acres of land was acquired in Village Billi Markundi and 8.312 acres of land comprising Gata Nos. 697, 698 and 1097 was acquired in Village Vardiya. It was further

clarified that the **distance between the aforesaid Khairatia Bandhi and the Arazi Nos. 4803 and 4992 in question is approximately 1800 meters**.

8. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

9. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Sonbhadra on this 18 day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to9are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

18/5/2026

DEPONENT

NOTARY
MANOJ DHAR
Advocate
GOVT. OF U.P. (INDIA)

18.05.26

R. K. Shukla
who
R. K. Shukla

18.05.2026
(MANOJ DHAR)
Adv.-NOTARY

01
318
18.05.2026

 ANNEXURE-1

एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण
संख्या-79NGT/26-27-सिं0-4-E- 2020270

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक 15-05-2026

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-554/2025 रितिशा गौड़ पुत्री गोपाल गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-474/मु0अ0/ (ज0सं0)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 15.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0ए0संख्या-554/2025 रितिशा गौड़ पुत्री गोपाल गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में विभाग से सम्बंधित बिंदुओं पर संशोधित आख्या उपलब्ध कराई गयी है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 08.04.2026 द्वारा विषयगत ओ0ए0संख्या-554/2025 रितिशा गौड़ पुत्री गोपाल गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से रिप्लाई तैयार कराकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल कराने तथा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त रिप्लाई दाखिल किये जाने तथा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3. अत: इस संबंध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ0ए0संख्या-554/2025 रितिशा गौड़ पुत्री गोपाल गौड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से रिप्लाई तैयार कराकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
RAMA KANT VERMA
Date: 15-05-2026
20:05:02
(रमा कान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-79NGT /26-27-सिं0-4-E-2020270, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।

आज्ञा से,
Digitally signed by
RAMESH CHANDRA
Date: 15-05-2026
20:08:17
(रमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

 ANNEXURE-2

कार्यालय उप जिलाधिकारी ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 2102/सात–रा०नि० (कार्या०कार्य)/जॉच आख्या/2026 दिनांकः–14.05.2026

विषय– गाटा सं0– 4992 एवं गाटा सं0– 4803 के स्वामित्व के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता
बंधी प्रखण्ड द्वितीय
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र

——————————

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड द्वितीय रावर्ट्सगंज सोनभद्र के पत्रांक सं0– 527/बं0 प्र02रा0/भूमि/दिनांक 11/05/2026 द्वारा गाटा सं0– 4992 एवं गाटा सं0 4803 के स्वामित्व के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में तहसीलदार ओबरा की आख्या दिनांक 12.05.2026 संलग्न के अनुसार मौजा बिल्ली मारकुण्डी में स्थित आराजी सं0–4803 रकबा 0.0510 हे0 व आराजी सं0– 4992 रकबा 0.0380 हे0 भूमि खतौनी खाता सं0–4413 पर बॉध खाता में श्रेणी 6–4 (जो अन्य कारणो से अकृषिक हो) में दर्ज है। उक्त दोनों आराजीयात ग्राम सभा बिल्ली मारकुण्डी की सीमा अन्तर्गत स्थित है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/ ग्राम सभा में निहित है।

अस्तु उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
ओबरा–सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता कान्धी प्रखण्ड द्वितीय राबर्ट्सगंज सोनभद्र के पत्रांक 527/कैं०प्र० 2रा०/भूमि/दिनांक 11/05/2026 द्वारा गाटा संख्या 4992 एवं गाटा संख्या 4803 के स्वामित्व के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मौजा बिल्ली मारकुण्डी स्थित आराजी संख्या 4803 रकबा 0.0510 हे० व आराजी संख्या 4992 रकबा 0.0380 हे० भूमि खतौनी खाता संख्या 4513 पर बाँध खाता में श्रेणी 6-4 (जो अन्य कारणों से अकृषित हो) में दर्ज है। उक्त दोनों आराजियात ग्राम सभा बिल्ली मारकुण्डी की सीमा अन्तर्गत स्थित है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/ग्रामसभा में निहित है।

अस्तु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित।

[signature]
लेखपाल
12/05/26

महोदय, उपरोक्त दोनो आराजियात ग्राम-सभा बिल्लीमारकुण्डी की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/ग्रामसभा में निहित है। अतः लेखपाल आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

राकेश कुमार
रा०नि०बि०मा०
12/05/2026

अग्रसारित

[signature]
12/05/2026

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बन्धी प्रखण्ड द्वितीय रावर्ट्सगंज
सोनभद्र।

पत्रांक :– 527 /बं0प्र02रा0/भूमि/दिनांक 11/05/ 2026

विषय– गाटा सं0– 4992 एवं गाटा सं0 4803 के स्वामित्व के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी ओबरा–सोनभद्र।

इस खण्ड के अन्तर्गत ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी, के अन्तर्गत खैरटिया बंधी स्थित है, जिसके निकट लगभग 1800 मीटर की दूरी पर गाटा सं0– 4992 एवं गाटा सं0 4803 स्थित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में गाटा सं0– 4992 एवं गाटा सं0 4803 योजित वाद सं0– 554/2025 के अभिलेख में प्राकृतिक नाला एवं प्राकृतिक बॉध विद्यमान होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु मौके पर वस्तुस्थिति उससे भिन्न है तथा भू–अभिलेख में बॉध के नाम से दर्ज है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के गाटा सं0– 4992 एवं 4803 स्वामित्व किस विभाग का है, अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे स्वामित्व के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर आख्या दी जा सके।

11.5.26

अधिशासी अभियन्ता
बंधी प्रखण्ड द्वितीय
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र

पत्रांक :– 527 /बं0प्र02रा0/भूमि/दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
2– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल–मीरजापुर।
3– सहायक अभियन्ता तृतीय बंधी प्रखण्ड द्वितीय रावर्ट्सगंज, सोनभद्र।
4– जिलेदार दुद्धी, बंधी प्रखण्ड द्वितीय रावर्ट्सगंज सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपजिलाधिकारी ओबरा–सोनभद्र से सम्पर्क कर उक्त गाटा का सत्यापन कराकर सत्यापन रिपोर्ट खण्ड में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

11.5.26

अधिशासी अभियन्ता
बंधी प्रखण्ड द्वितीय
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-3

कार्यालय मुख्य अभियंता (सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी

पत्रांक–नि–483 / सोन / 134बी–को0के0–ओ0ए0सं0–554 / 2025, दिनांकः वाराणसीः 14 मई,2026

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–554 / 2025 रितिशा गोंड पुत्री श्री गोपाल गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 एवं दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में

अधीक्षण अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल–प्रथम, सिंचाई भवन, एनेवसी, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–3633 / सोन / 134बी–को0के0–ओ0के0–554 / 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0ए0 व्सं0 संख्या–554 / 2025 रितिशा गोंड पुत्री गोपाल गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 एवं पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में सिंचाई विभाग से संबंधित आख्या प्रेषित की गयी थी।

उक्त प्रेषित आख्या के परिप्रेक्ष्य में शासकीय पत्र संख्या–67एन0जी0टी0 / 26–27–सिं–4–E–2020270, दिनांक 14.05.2026 द्वारा आराजी संख्या–4803 एवं आराजी संख्या–4992 सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है, अथवा नही? से अवगत कराने की वांछना की गयी है एवं ओ0ए0सं0 संख्या–554 / 2025 रितिशा गोंड पुत्री श्री गोपाल गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकऱण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 एवं पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन में सिंचाई विभाग से संबंधित बिन्दुओं की सुस्पष्ट आख्या आज ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 14.05.2026 के अनुपालन में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर वॉछित संशोधित आख्या संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

14-5-26
(सीमान्त)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सोन)
कृते मुख्य अभियंता (सोन)
14.05.2026

प्रत्रांक–नि–483 / सोन / तद्दिनांक

1. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियंता एवं नोडल अधिकारी, बांधी प्रखण्ड–द्वितीय, राबर्ट्सगंज–सोनभद्र।

(सीमान्त)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सोन)
कृते मुख्य अभियंता (सोन)
14.05.2026

म0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–554/2025 रितिशा गोंड पुत्री श्री गोपाल गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 एवं 09.02.20264 के अनुपालन में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की संशोधित आख्याः–

अवगतनीय है कि ओ0ए0 संख्या–554/2025 रितिशा गोंड पुत्री श्री गोपाल गोंड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं..अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नयी दिल्ली द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पारित किये गये आदेश का क्रियान्वित अंश निम्नवत् हैः–

"In this Original Application (OA) the Applicant has questioned the revised DSR of District Sonbhadra, Uttar Pradesh (page-248). Learned counsel appearing for the Applicant has referred to page 306 and has submitted that the Araji no. 81 and 99 of the chart have been wrongly included in the DSR by permitting the mining in those Araji numbers. He submits that these Araji numbers are adjacent to Araji 4803 and 4992 wherein a natural stream and natural dam are existing if the mining is permitted in the Araji mentioned in Serial 81 and 99, then these natural dam and natural stream will be completeily destroyed. Therefore the inclusion of these Araji Nos. in the DSR can not be sustained."

उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि वादी द्वारा ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्याओं (सीरियल नं0–81 एवं 99) का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि वे आराजी संख्या–4803 एवं 4992 के समीप स्थित हैं तथा वहाँ प्राकृतिक नाला एवं प्राकृतिक बाँध विद्यमान है। यह तथ्यात्मक रूप से असत्य एवं प्रामक है, क्योंकि आराजी संख्या–4803 एवं 4992 राजस्व के भू–अभिलेख में बाँध के नाम से दर्ज है, किन्तु मोके पर कोई बाँध निर्मित नहीं है, अपितु समतल जमीन है।

विभागीय अभिलेखों, स्थानीय निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि खैरटिया बाँध से उल्लिखित District Survey Report क्रमांक–81 एवं 99 आराजी संख्या–4803 एवं 4992 (ग्राम बिल्ली मारकुण्डी) से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। उल्लिखित स्थल पर ऐसा प्राकृतिक नाला या प्राकृतिक बाँध नहीं है, जो प्रस्तावित खनन कार्य से प्रभावित हो।

सिंचाई विभाग की खैरटिया बंधी के नाम सें बंधी निर्मित है, जो ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में गाटा संख्या–193, 2970, 3744, 1029, 2950, 2960, 1031, 2978, 3018, 2957, 2961, 2962, 2963, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 3020, 3021, 3022, 3019, 3017, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010, 3009, 3006, 3005, 3002, 3001, 3000, 1037, 2977 कुल 106.477 एकड़ एवं ग्राम वर्दिया में गाटा संख्या–697, 698, 1097 कुल 8.312 एकड़ का कुल योग 114.789 एकड़ (46.47 है0) जमींन अधिग्रहीत की गयी है, जिसमें प्रश्नगत आराजी संख्या–4803 एवं 4992 की दूरी लगभग 1800 मीटर है।

शासकीय पत्र संख्या–67एन0जी0टी0/26–27–सिं–4–E-2020270, दिनांक 14.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत आराजी संख्या–4803 एवं 4992 सिंचाई विभाग के स्वामित्त में है अथवा नहीं? से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता, बंधी प्रखण्ड–द्वितीय, रावर्दशगंज–सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत आराजी संख्या–4803 एवं 4992 का स्वामित्व राज्य सरकार/ग्राम सभा में निहित है।

अतः वादी का कथन असत्य, निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है।

14.5.2026

(सीमान्त)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सोन)
कृते मुख्य अभियंता (सोन)

14.5.2026

ARAZI NUMBER 4803

ARAZI NUMBER 4992